

भण्डार क्रय संगठन

परिचय

भण्डार क्रय संगठन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन एक अनुभाग है, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु दवाईयों, औजार, उपकरण आदि के लिए निविदाएँ आमंत्रित कर दर संविदा का कार्य सम्पादित किया जाता है। इस अनुभाग का कार्य मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रय संगठन के निर्देशन में सम्पादित किया जाता है। मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रय संगठन द्वारा निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के अधीन कार्य सम्पादित किया जाता है। निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात निविदाओं के साथ प्राप्त दस्तावेजों की जांच करना, तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार कर भण्डार क्रय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाती है तत्पश्चात भण्डार क्रय समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उनकी क्रियान्विति की जाती है।

अनुमोदित आईटमों के लिए संबंधित अनुमोदित फर्म से नियमानुसार अनुबंध करवा कर दर संविदा जारी की जाती है। उक्त दर संविदा के प्रति विभाग के सभी क्रयकर्ता अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जाती है, जिसके आधार पर क्रयकर्ता अधिकारियों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रय आदेश जारी किये जाते हैं।

प्रारम्भिक तौर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भण्डार क्रय समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.05.98 के द्वारा किया हुआ है किन्तु समय-समय पर भण्डार क्रय समिति के सदस्यों की संख्या में राजकीय निर्देशों के अनुसार वृद्धि की जाती रही है। वर्तमान में एसपीसी में अध्यक्ष सहित निम्न 12 सदस्य हैं :-

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | <u>अध्यक्ष</u> |
| 2. | निदेशक (जन स्वास्थ्य) चि० एवं स्वा० सेवायें, राज० जयपुर | सदस्य |
| | निदेशक (परिवार कल्याण) चि० एवं स्वा० सेवायें, राज० जयपुर | सदस्य |
| 3. | निदेशक (आईईसी) चि० एवं स्वा० सेवायें, राज० जयपुर | सदस्य |

4	निदेशक (एड्स) चि० एवं स्वा० सेवायें, राज० जयपुर	सदस्य
6.	प्राचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर	सदस्य
7.	अधीक्षक जे०एल०एन० अस्पताल अजमेर	सदस्य
8.	औषधि नियंत्रक-प्रथम, राजस्थान	सदस्य
9.	औषधि नियंत्रक-द्वितीय, राजस्थान	सदस्य
10.	वित्तीय सलाहकार निदेशालय, चि०एवंस्वा० सेवायें, राज० जयपुर	सदस्य
11.	आयुक्त उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
12.	सचिव, भण्डार क्रय संगठन	<u>सदस्य सचिव</u>

विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुपस्थिति में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की अध्यक्षता में भण्डार क्रय समिति की बैठक आयोजित किये जाने का प्रावधान है।

विशिष्ट योजनाओं/केन्द्रीयकृत योजना/राज्य योजना आदि (प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अकाल, राहत आदि) के अन्तर्गत आवंटित बजट से केन्द्रीयकृत क्रय के आदेश भी भण्डार क्रय संगठन से जारी किये जाते हैं।

उद्देश्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाली समस्त चिकित्सा संस्थाओं में काम आने वाली आवश्यक औषधि सूची में वर्णित दवाइयों एवं औजार, उपकरण आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दर संविदा जारी की जाती है, जिसके आधार पर समस्त क्रयकर्ता अधिकारी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। दर में समान रूपता बनाये रखने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। चिकित्सा विभाग की सम्पूर्ण आवश्यकता के लिए निदेशालय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करने से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होती हैं तथा न्यूनतम दरें भण्डार क्रय समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

दर संविदा/क्रय की वर्तमान स्थिति :- वर्तमान में निजी क्षेत्र में 42 आईटमों की विभिन्न दवाओं की दर संविदा जारी की जा चुकी हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में 149 आईटमों की दर संविदायें जारी की गई हैं। ये दर संविदाये वर्ष

2006-08 तक के लिये वैद्य हैं। इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य चेतना यात्रा के अन्तर्गत रू. 64849000.00 के क्रयादेश विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों को जारी किये जा चुके हैं, जिनके संदर्भ मे दवा आपूर्ति हो चुकी है। जीवन रक्षक औषधियों के क्रम मे रू. 38067250/- के क्रयादेश भी सार्वजनिक उपक्रमों को जारी किये जा चुके हैं जिनके संबंध मे अधिकांश आपूर्ति हो चुकी बताई गई है। जहां तक माइक्रोन्यूट्रेंट आपूर्ति का प्रश्न है उसमें सहरिया व आदिवासी जिलों के लिये रू. 28000000/- के आवंटित प्रावधान के विरुद्ध रू. 14461244/- के आपूर्ति आदेश दिये जा चुके हैं।

इनके अतिरिक्त 30 से अधिक स्यूचर्स आईटम की दर संविदा भी जारी की गई है। इनको मिलाकर कुल दर संविदा के आईटमों की संख्या करीब सवा दौ सौ रहती है।

भण्डार क्रय संगठन की कार्यप्रणाली के लिये वर्तमान मे पृथक से कोई मैनुअल जारी नहीं की गई है। भण्डार क्रय संगठन का कामकाज राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये विभिन्न निर्देशों द्वारा संचालित होता है, जिनकी सूची संलग्न है।

मुख्यलेखाधिकारी एवं सचिव
भण्डार क्रय संगठन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

विभागीय परिपत्र तथा निर्देश जिनके आधार पर भण्डार क्रय संगठन का कामकाज सम्पादित किया जाता है।

(अ)

क्र०सं०	आदेश/परिपत्र/यू०ओ० नोट/निर्देश	दिनांक
1	विभागीय क्रय नीति आदेश	10.03.1988
2	गोवा एन्टीबायोटिक से खरीद न करने के संबंध में विभागीय निर्देश	15.09.1994
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भण्डार क्रय समितियों तथा विभागीय क्रय समितियों के गठन के संबंध में विभागीय आदेश	30.10.1995
4	पीएसयूज को प्राथमिकता देने संबंधी परिपत्र	6.02.1997
5	भण्डार क्रय समिति का गठन आदेश	22.05.1998
6	एचएलएल के संबंध में परचेज प्रिफरेंस के संबंध में भारत सरकार पेट्रो केमिकल मिनिस्ट्री के पत्र	28.09.1998
7	भण्डार क्रय समिति की बैठक में भाग लेने तथा कोरम संबंधी निर्देश	8.09.1999
8	रु. 25.00 लाख से अधिक के मेडिकल कॉलेज से संबंधित क्रय के लिये विभागीय निर्देश	27.09.1999
9	केटलॉग में संशोधन के संबंध में विभागीय निर्देश	1.12.1999
10	भण्डार क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता के विकल्प के संबंध में आदेश	17.02.2000
11	सेम्पल जांच हेतु पर्याप्त मात्रा में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की उच्च स्तरीय बैठक के कार्यवाही विवरण	23.11.2000
12	मेडिकल कॉलेजों की सम्बद्धता संबंधी आदेश	30.05.2003
13	सूचर्स क्रय के लिये पीएसयू से ही क्रय करने के संबंध में विभागीय पत्र	10.03.04
14	एसएसआई यूनिट को मूल्य अधिमान दिये जाने के संबंध में वित्त विभाग का पत्र	10.06.04
15	निदेशालय के एसपीओ की दर संविदा पर चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा क्रय के संबंध में विभागीय निर्देश	11.02.05
16	माइक्रोन्यूट्रेन्ट के संबंध में माननीय चिकित्सा मंत्री द्वारा यू०ओ० नोट द्वारा जिला स्तरीय खरीद पर रोक के निर्देश।	11.02.05
17	दिनांक परचेज प्रिफरेंस के क्रम में पीएसयू की सूची भारत सरकार पेट्रो केमिकल मिनिस्ट्री के पत्र	11.03.05
18	विभिन्न भेषज एवं औषधियों, उपकरणों की निविदा, टेस्ट रिपोर्ट व सेम्पल की जांच हेतु विभिन्न तकनीकी समिति एवं बाजार दर सर्वेक्षण समिति का गठन राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति द्वारा किया जायेगा। यू०ओ० नोट विशिष्ट शासन सचिव	28.11.06
19	निविदाओं की डी०सी०ओ० द्वारा तकनीकी जांच संबंधी विभागीय आदेश	14.12.06

20	विभाग मे उपकरण, फर्नीचर, दवा इत्यादि की क्रय प्रक्रिया मे सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन विभागीय आदेश	15.12.06
21	रु. 1.00 करोड से अधिक के मेडिकल विभाग मे क्रय के संदर्भ मे ई-प्रोक्यूरमेंट के संबंध मे पीएसएफ के अ0शा0 पत्र	17.01.07
22	मांग, स्पेसिफिकेशन, दस्तावेजी जांच, तकनीकी बिड की जांच, डी0सी0 द्वारा औषधियों के निविदा प्रकरण मे विशिष्ट राय देने, सरकार द्वारा अनुमोदित भेषज प्रयोगशाला मे सेम्पल जांच, विभिन्न चिकित्सा विभागाध्यक्षों मे दवा आपूर्ति के संबंध मे समन्वय, दर संविदा एवं आपूर्ति आदेश की प्रति प्रमुख शासन सचिव मंत्री महोदय को प्रस्तुत करने के संबंध मे विभागीय आदेश	22.01.07
23	माइक्रोन्यूट्रेन्ट के संबंध मे संबंधित जिलों को राशि उपलब्ध करवाने अन्य प्रक्रिया संबंधी निर्देश तथा औषधि नियंत्रकों द्वारा खाली किये गये कक्षों का एसपीओ को आवंटन संबंधी कार्यवाही विवरण	27.02.07
24	मै0 एचएलएल को ब्लड बैग्स एवं स्यूचर्स की आपूर्ति के संबंध मे विभागीय परचेज प्रिफरेंस संबंधी आदेश	10.03.07
25	निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं निदेशक, एड्स के एक-दूसरे के लिंक ऑफिसर लेने संबंधी विभागीय आदेश	23.03.07
26	ओडीसीएल को क्रय अधिमान न देने के संबंध मे पेट्रो केमिकल इण्डस्ट्रीज, भारत सरकार का पत्र	26.05.07
27	एसपीसी की बैठक के एजेण्डा बिन्दु सं0 8 के संदर्भ मे औजार एवं उपकरणों के संबंध मे निविदत्त उपकरणों के संबंध मे बाजार दर ज्ञात करने के लिये तकनीकी समिति का गठन निदेशालय आदेश	1.06.07
28	एसपीओ के लिये कक्ष आवंटन के संबंध मे पीएचएस का अनुमोदन	30.06.07
29	विभिन्न क्रयाधिकारियों द्वारा प्रतिमाह उपभोग की जाने वाली दवा, उसकी आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिये विभाग द्वारा जारी निर्देश	19.07.07
30	औजार एवं उपकरणों के संबंध मे पांच प्रमुख दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाई गई निविदाओं की प्राईस बिड खोलने के संबंध मे माननीय स्वास्थ्य मंत्री का अनुमोदन	1.08.07
31	लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों की क्षमता सुनिश्चित करने के संबंध मे एमएसएमई विकास संस्थान का पत्र	8.08.07
32	डी0सी0ओ0 का पदस्थापन विभागीय आदेश	6.09.07
33	एसपीओ को निदेशक, जन स्वास्थ्य के अधीन करने संबंधी विभागीय आदेश	5.10.07
34	शर्तों एवं शरायतों के संदर्भ मे कम समय सीमा देने पर एल0डी0 निर्धारित करने के संबंध मे विभागीय परिपत्र	24.10.07

निदेशालय की ओर से विभिन्न प्रकरणों में जारी क्रयकर्ताओं को सामान्य निर्देश

(ब)

1	समस्त क्रयकर्ता अधिकारियों को दर संविदा के संबंध में जारी किये जाने वाले निर्देश।	
2	समस्त क्रयकर्ता अधिकारियों को अनुमोदित फर्मों से बकाया वसूली बिलों से करने के संबंध में निदेशालय से दिये जाने वाले निर्देश।	
3	मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये समस्त क्रयकर्ता अधिकारियों को निदेशालय की ओर से दिये जाने वाले निर्देश।	
4	ई-प्रोक्यूरमेंट के संबंध में निदेशालय के विभिन्न अधिकारियों को डीएससी उपलब्ध करवाने के संबंध में अप्रुवल	
5	एसपीसी की बैठक के एजेण्डा बिन्दु सं० 8 के संदर्भ में औजार एवं उपकरणों के संबंध में तकनीकी समितियों के गठन के क्रम में निदेशालय से जारी निर्देश	
6	एसपीओ के स्थापना संबंधी प्रावधान आयोजना भिन्न वित्त विभाग की प्रिन्टेड बजट प्रति	